



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.11.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मात्र 05 घण्टे में वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए**

**02 वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.2024 को वादी श्री पंकज चौधरी पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी मौहल्ला शिवपुरी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल एचएफ डिलेक्स को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 395/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में कल दिनांक 05.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 वाहन चोर/अभियुक्तगण 1.रजनीश पुत्र छोटा लाल निवास ग्राम मलकपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 2.सुनिल पुत्र राजेन्द्र निवास ग्राम मलकपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को मलकपुर रोड रायल सिटी के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की एचएफ डिलेक्स मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछने पर एक स्वर में बताया कि हम दोनो एक ही गांव के हैं और आपस में दोस्त भी हैं। जो चोरी की मोटरसाइकिल हम दोनो के पास से मिली है वह हम दोनो ने अपने साथी आजम के साथ मिलकर मौहल्ला सुजातपुर में तहसील रोड से चोरी की थी जिसे आज हम दोनो सहारनपुर बेचने के लिए जा रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. रजनीश पुत्र छोटा लाल निवास ग्राम मलकपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. सुनिल पुत्र राजेन्द्र निवास ग्राम मलकपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण -**

01 मोटरसाइकिल चोरी की (एचएफ डिलेक्स यू0पी0 11 बीएक्स 4603)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 971 राशिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.11.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारंटी/अभियुक्त सुहैल पुत्र नफीस निवासी मौ० खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स०- 126/2010 व मु०अ०सं० 878/13 धारा 323/504 भादवि थाना देवबन्द (मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत) नियत दिनांक 20.12.2024 में कस्बा देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

सुहैल पुत्र नफीस निवासी मौ० खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

- 1- उ०नि० श्री राकेश पंवार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- हे०क० 655 कमलेश यादव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.11.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त गोर्धन पुत्र इलमसिंह निवासी ग्राम अलीपुरा भागुवाला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 2858/22 धारा 272/273/420 भादवि व धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना मिर्जापुर में ग्राम अलीपुरा भागुवाला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

गोर्धन पुत्र इलमसिंह निवासी ग्राम अलीपुरा भागुवाला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –**

1. उ0नि0 श्री नितिन कुमार, थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. का0 2415 अंकित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक: 06.11.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ व अपहरण के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.2024 को मुकदमा वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त विकास पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर के विरुद्ध वादिया की नाबालिक पुत्री बहला फुसलाकर भगा ले जाना के संबंध में थाना मिर्जापुर पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर कायमी मु0अ0स0 187/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अपहृता की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 180 बीएनएसएस व अपहृता के बयान के आधार पर धारा 87/74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में कल दिनांक 05.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए छेड़छाड़ व अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त विकास पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को नकुड बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

विकास पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

**अभियुक्त विकास उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0स0 347/22 धारा 489ए/489बी/489सी भादवि थाना कु0शेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 71/24 धारा 147/323/324/504 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 286/22 धारा 363/366 भादवि व 17/18 पोक्सो एक्ट थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री भुपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. म0का0 912 आरती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 06.11.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वाछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 03 एनबीडब्लू वारण्टी 1.रोहित पुत्र इशम सिंह निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर, 2. रोहित पुत्र ओमवीर निवासीग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1551/22 व मु0अ0सं0 321/18 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नानौता में व 3. वैल सिंह पुत्र सुग्रीव निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 1808/22 व मु0अ0सं0 171/06 धारा 447 भा.द.वि. थाना नानौता में ग्राम सोना अर्जुनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. रोहित पुत्र इशम सिंह निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. रोहित पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. वैल सिंह पुत्र सुग्रीव निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बिशन सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 801 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर
6. का0 2228 हरिभान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 06.11.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध परिस्थिति में 02 बच्चों की गैरइरादतन हत्या का खुलासा करते हुए घटना में प्रयुक्त वाहन सहित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2024 को वादी श्री पूरण पुत्र स्व० इलम सिंह निवासी ग्राम भायला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के 11 वर्षीय पुत्र व 07 वर्षीय भतीजी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०स० 606/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से देवबन्द-बडगांव मार्ग, नानौता-सहारनपुर मार्ग, हरिद्वार-रूडकी/मंगलौर आदि मार्गों पर लगभग 500 कैमरो की वीडियो फुटेज को चैक करने व घटनास्थल से फिल्ड यूनिट द्वारा एकत्र किये गये गाडी के पार्टस व कैमरो के अन्वेषण के आधार पर एक संदिग्ध वर्ना गाडी न० UK08U9100 प्रकाश में आयी। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही के क्रम में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त शिवम शर्मा उर्फ कुनाल पुत्र मनोज शर्मा निवासी न्यू राम नगर कालोनी आर्य नगर चौक ज्वालापुर थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को घटना में प्रयुक्त वर्ना गाडी सहित आज दिनांक 06.11.24 को मुखबिर की सूचना पर चौकी बॉर्डर क्षेत्र रझवाहे के पास से गिफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(2) बीएनएस का विलोप करते हुए धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त शिवम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 31.10.24 को मैं अपने परिजनो के साथ कस्बा ननौता में दीपावली की पूजा करने आया था और जब ननौता से वापस हरिद्वार जा रहा था तो अचानक सामने से दूसरी गाडी की लाईट पडने के कारण बच्चे दिखाई नहीं दिये और गाडी उन बच्चो से टकरा गयी। गांव वालो के डर की वजह से न तो मैंने गाडी रोकी और न ही किसी को सूचना दी तथा वहा से भाग गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शिवम शर्मा उर्फ कुनाल पुत्र मनोज शर्मा निवासी न्यू राम नगर कालोनी आर्य नगर चौक ज्वालापुर थाना ज्वालापुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

**बरामदगी:-**

वर्ना गाडी न० UK08U9100 (घटना में प्रयुक्त गाडी)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री ओमकार सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री के०पी० सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. हे०का० 274 रवि तोमर, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. हे०का० 698 सन्दीप भाटी, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. हे०का० 902 गोविन्द, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.11.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की**

**मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री हरवीर सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी निदेशक बाबा प्रा०लि० लिंक रोड थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला चैसिस नम्बर MBLHAW238RHH48071 तथा इंजन नं० HA11E8RHH24936 को बाबा एजेन्सी लिंक रोड से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 284/24 धारा 303(2) बी०एन०एस० पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाहन चोरी में वांछित **अभियुक्त जहाँगीर पुत्र शब्बीर अहमद नि०-ग्राम तेल्लीपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को तिकोनी कोठी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

जहाँगीर पुत्र शब्बीर अहमद नि०- ग्राम तेल्लीपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस रंग काला चैसिस नम्बर MBLHAW238RHH48071 तथा इंजन नं० HA11E8RHH24936

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. उ०नि० श्री यशपाल सोम थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 87 पंकज कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. कां० 2552 विकास कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.11.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त को**  
**किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा बहला-फुसलाकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र पाल्ला निवासी मौहल्ला पठानपुरा मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0सं0—247/2024 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में साईफन पुलिस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

राहुल पुत्र पाल्ला निवासी मौहल्ला पठानपुरा मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

**अभियुक्त मुनव्वर उपरोक्त आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 247/2024 धारा 137(2)/64(1) बी0एन0एस0 व 3 / 4 पोक्सो एक्ट थाना चिलकाना।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:**

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. का0 2351 शमशाद अली थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. म0का0 1451 विनिता थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक: 06.11.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से**

**20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ तुनकी पुत्र जमील निवासी ग्राम खेडा मेवात थाना चिलकाना सहारनपुर को घाटेडा को जाने वाला कच्चा पक्का रास्ता ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 248/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हरियाणा से सस्ते दामों नशीला सामान खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस पास के लोगो के जो नशा करते हैं, उनको थोड़े अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मुस्तकीम उर्फ तुनकी पुत्र जमील निवासी ग्राम खेडामेवात थाना चिलकाना सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

20 ग्राम अवैध स्मैक

**अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ तुनकी का उपरोक्त आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0स0 08/2011 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
02. मु0अ0स0 60/2011 धारा 110 जी सीआरपीसी चालानी थाना चिलकाना स0पुर
03. मु0अ0स0 193/2011 धारा 3/8 सीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
04. मु0अ0स0 320/2011 धारा 110 जी सीआरपीसी चालानी थाना चिलकाना स0पुर
05. मु0अ0स0 145/2018 धारा 3/8 सीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
06. मु0अ0स0 316/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
07. मु0अ0स0 116/2019 धारा 3/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
08. मु0अ0स0 207/2019 धारा 3/5ए सीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
09. मु0अ0स0 90/2022 धारा 3/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
10. मु0अ0स0 009/2014 धारा 307/414 भादवि पु0मुठभेड व धारा 3/25/27 आर्मस थाना
11. मु0अ0स0 067/2024 धारा 3/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0स0 248/24 धारा—8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

- उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- हे0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
- का0 634 मनोज कुमा थाना चिलकाना सहारनपुर।
- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।